

कम्युनिटी फॉर परेक्सो - १५८०२५ फ़िल्म ०५/६१२०५

पत्र सं०-सचलदल-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र -2014-15 / ५६९ / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिशनर वाणिज्य कर
(सचल दल-अनुभाग)
उत्तर प्रदेश

लखनऊ :: दिनांक : ५ जून , 2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर

समस्त एडीशनल कमिशनर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०)

समस्त ज्वाइंट कमिशनर (कार्यपालक / वि०अनु०शा०)

वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश

मुख्यालयके परिपत्र सं०च००प००-२५क-परिपत्र-०८०९१०० दिनांक ०३-०२-२००९, परिपत्र सं०-च००प००-२५क-परिपत्र जमा प्रमाण पत्र -०९-१०/०९१००६० / वाणिज्य कर दिनांक ०५-११-२००९ , परिपत्र सं०-च००प००-२५क-परिपत्र -जमाप्रमाण पत्र -०९-१० / ०९-१० / ०९१००६२ / वाणिज्य कर दिनांक १६-११-२००९ , परिपत्र सं०-च००प००-२५क-परिपत्र-जमा प्रमाण पत्र -०९-१० / ०९१००९८ / वाणिज्य कर दिनांक ०८-०३-२०१० एवं परिपत्र सं०-च००प००-२५क-परिपत्र -जमा प्रमाण पत्र - ०९-१०/ १०११०२४ / वाणिज्य कर दिनांक २२-०६-२०१० का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा व्यापारियों द्वारा परिवहित किए जा रहे माल की जाँच पर जमानत जमा कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं ।

उपर्युक्त संदर्भित परिपत्रों के द्वारा सचल दल इकाइयों द्वारा पंजीकृत तथा अपंजीकृत व्यापारियों के संबंध में जाँच प्रक्रिया अवधारित करते हुए , प्रकाश में आए त्रुटिपूर्ण मामलों में जमानत जमा कराए जाने से संबंधित निर्देश निर्गत किए गए हैं ।

शासन द्वारा ३०प्र० मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश , २०१४ ३०प्र० अध्यादेश सं०-४ / २०१४ द्वारा धारा ५४ की उपधारा (१) के क्रमांक १४ में किए गए संशोधनों के दृष्टिगत प्रान्त बाहर से प्रदेश में आयातित माल के संबंध में त्रुटिपूर्ण पाए गए प्रकरणों में उपर्युक्त परिपत्रों के द्वारा निर्गत जमानत की राशि से संबंधित दिशानिर्देशों को संशोधित करते हुए निम्न प्रकार निर्देश निर्गत किए जाते हैं -

क- पंजीकृत व्यापारियों से, प्रान्त बाहर से आयातित माल के परिप्रेक्ष्य में, जमानत जमा कराये जाने से संबंधित निर्देश :

(१) प्रान्त बाहर से आयातित वस्तु जिसके संबंध में त्रुटिपूर्ण संव्यवहार किया जाना प्रकाश में आया है यदि ३०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , २००८ की अनुसूची-II अथवा अनुसूची- III में समाहित है तो माल के मूल्य का १५%जमानत की राशि वसूल की जाएगी ।

(२) प्रान्त बाहर से आयातित वस्तु जिसके संबंध में त्रुटिपूर्ण संव्यवहार किया जाना प्रकाश में आया है यदि ३०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , २००८ की अनुसूची-V में समाहित है , तो ऐसे माल पर संदेय कर के दोगुने के बराबर जमानत की राशि वसूल की जाएगी ।

(३) प्रान्त बाहर से आयातित वस्तु जिसके संबंध में त्रुटिपूर्ण संव्यवहार किया जाना प्रकाश में आया है पर यदि ३०प्र० मूल्य संवर्धित कर अधिनियम , २००८ के अन्तर्गत कर की दर ४०% से अधिक है तो ऐसे माल के संबंध में संदेय कर के बराबर जमानत वसूल की जाएगी ।


(४) प्रान्त बाहर से आयातित वस्तु यदि उपर्युक्त क्रमांक (१) , (२) तथा (३) में वर्णित वस्तुओं से भिन्न है तो उसके संबंध में त्रुटिपूर्ण आयात के तथ्य प्रकाश में आने पर माल के मूल्य का ४०% जमानत वसूल की जाएगी ।

ख- अपंजीकृत व्यापारियों से , प्रान्त बाहर से आयातित माल के परिप्रेक्ष्य में , जमानत जमा कराए जाने से संबंधित निर्देश :

अपंजीकृत व्यापारियों द्वारा प्रान्त बाहर से माल का त्रुटिपूर्ण आयात किए जाने के तथ्य प्रकाश में आने पर माल के मूल्य पर संदेय कर अथवा माल के मूल्य का 40% जो भी अधिक हो जमानत वसूल की जाएगी ।

प्रदेश में प्रान्त बाहर से आयातित माल के परिप्रेक्ष्य में जमानत राशि के संबंध में पूर्व निर्गत आदेश तदनुसार संशोधित समझे जायें ।

उक्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जाए ।


 (मृत्युंजय कुमार नारायण)
 कमिश्नर वाणिज्य कर
 उत्तर प्रदेश

पृष्ठांसंख्या दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) माननीय अध्यक्ष, ३०प्र० राज्य वाणिज्य कर सलाहकार समिति, ३०प्र० शासन, लखनऊ ।
- (2) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ ।
- (3) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (4) सैयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-२, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (5) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, ३०प्र० ।
- (6) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, ३०प्र० ।
- (7) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१/ ग्रेड-२, वाणिज्य कर, ३०प्र० मुख्यालय लखनऊ ।
- (8) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-२ (वि०अनु०शा०/ अपील, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (9) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यालय / वि०अनु०शा० / अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (10) समस्त डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि०अनु०शा०/स०द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (11) अपर निदेशक सैयुक्त निदेशक / उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ ।
- (12) महालेखाकार, छठा तल, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ ।
- (13) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ ।
- (14) प्रबन्धक, इसेंटिव, पिकप, राणप्रताप मार्ग, लखनऊ ।
- (15) समस्त आन्तरिक सम्पर्कीया दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- (16) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट ऑफिस आफ द प०जी०आडिट ११, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद ।
- (17) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जॉन, सेक्टर १० नोयडा ।
- (18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-२ / ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि०/असिस्टेंट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्यालय गाजियाबाद ।
- (19) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-१/ ग्रेड-२/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी क०मि०/असि०कमि०(३०न्या०कार्या०)लखनऊ/इलाहाबाद ।
- (20) मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः ५-५ तथा १०प्रतियों में ।
- (21) विधि अनुभाग मुख्यालय को ५० प्रतियों ।
- (22) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- (23) अध्यक्ष, ३०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो० ७, देवेन्द्र पुरी कालोनी, बांसमण्डी, लखनऊ ।
- (24) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी १५ माल एवेन्यू लखनऊ ।
- (25) श्री हुलास राय सिंहल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी व्यापार सभा, कैम्प कार्यालय इण्डस्ट्रियल इस्टेट, रेलवे रोड, देवबन्द (सहारनपुर) ३०प्र० ।
- (26) श्री श्याम बिहारी मिश्र, ३०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, ८७/३४९ आर्या नगर, सर्गीत टाकिज के पीछे कानपुर ।
- (27) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, ३०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, ६६, शास्त्री नगर, लखनऊ ।
- (28) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, २९बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ ।

- (29) श्री अमरनाथ मिश्र, महामंत्री, लखनऊ व्यापारी समन्वय समिति, 244/65, यहियांगंज, लखनऊ ।
- (30) मर्वेन्ट चेम्बर आफ कार्मस ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर ।
- (31) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड0 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ ।
- (32) पी एच डी चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ ।
- (33) अवध चेम्बर आफ कार्मस एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ ।
- (34) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद ।
- (35) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ ।
- (36) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यो) के माध्यम से ।
- (37) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली ।
- (38) श्री नरेन्द्र कु0 गुप्ता, (नन्दी) राष्ट्रीय महासचिव एवं राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी, समाजवादी व्यापार सभा (कैम्प कार्यालय 1/274, चिरंजीव विहार, निकट चांसलर क्लब, गाजियाबाद ।
- (39) श्री शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,अध्यक्ष, दि 30प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार,एस०एस०कालेज रोड,खतौली,मुजफ्फरनगर।
- (40) श्री मदन मोहन भरतीय एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 30प्र० शासन 26/103 बिहाना रोड कानपुर ।
- (41) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
- (42) प्रो० श्रीमती रंजना ककड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (43) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (44) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी ।
- (45) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1,कुंजगाली,चौक,वाराणसी ।
- (46) श्री पी०एस०जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (47) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ०प्र०टैक्स आपरेटर्स,फेडरेशन (रजि०),पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (48) श्री आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी,इलाहाबाद ।
- (49) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (50) श्री शैलेश मिश्र, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल 30प्र० प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (51) इन्डियन इण्ड0एसो०, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु०नगर ।
- (52) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो०, वेस्ट यू०पी०,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
- (53) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रैड टैक्स बार एवं रुम जयपुर हाऊस ,आगरा ।
- (54) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रीयल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुरा
- (55) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (56) श्री दिनेश अरोरा 30प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (57) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष 30प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (58) श्री अरुण कुमार अवस्थी,प्रान्तीय सैंगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पंजी०)-बी-29, विधायकनिवास, दारुल सफा,लखनऊ ।
- (59) श्री गोपाल अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष , समाजवादी व्यापारी सभा , 30प्र०, 6ए, राजभवन कालोनी, लखनऊ ।
- (60) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल, उपाध्यक्ष 30प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,उ०पा०रोड,अमीनाबाद लखनऊ ।
- (61) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (62) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड,कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (63) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, दाथरस ।
- (64) सर्वश्री दि किराना मर्वेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (65) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष आर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (66) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, 30प्र०उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (67) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न०-६ गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (68) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस,आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर०डी०सी०-51, राजनगर , गाजियाबाद ।
- (70) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

- (71) श्री रवि सन्धूजा, एडवोकेट, रवि एसोसिएट्स, डी-194, सेक्टर-10, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर (यू०पी०)।
(72) श्री अरविन्द कालरा, सदस्य वैट एडवाइजरी कमेटी, उत्तराखण्ड।
(73) श्री आलोक कुमार गुप्ता, महासचिव, यू०पी० पेपर मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन, एफ 43, सेक्टर-11, नोएडा।
(74) अध्यक्ष, राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन (उत्तर प्रदेश)
(75) अध्यक्ष, यू०पी०मोटर ट्रांसपोर्ट्स एसोसिएशन (रजि०) 133/296-ए, ट्रांसपोर्ट भवन, ट्रांसपोर्ट नगर, कानपुर।
(76) अध्यक्ष/सचिव, वेस्टर्न यू०पी०चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, बांबे बाजार, मेरठ।
(77) अध्यक्ष / महासचिव महानगर टैक्स बार ऐसोसिएशन (रजि०) गाजियाबाद
(78) प्रेसीडेन्ट/सचिव, यू०पी०शुगर मिल्स एसोसिएशन, 403, चिल्टन हाउस, 16, स्टेशनरोड, लखनऊ।
(79) अध्यक्ष /महासचिव आल इण्डिया फैडरेशन आफ टैक्स प्रैक्टीशनर्स, नवयुग मार्केट, गाजियाबाद
(80) कन्वीनर, टैक्स फोरम, रजत विहार, सेक्टर 62, नोएडा।
(81) राष्ट्रीय अध्यक्ष/ महामन्त्री, न्याय मंच-949, मल्हूपुरा, मुजफ्फरनगर।

०.५
६०५
(योगेन्द्र कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ